

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003

कंपनी सचिवालय प्रभाग

सं. सेक-1/8(1)/2011/1680/1832-1921

दिनांक: 21.04.2011

ऋण नीति परिपत्र-सं. 004/2011

**विषय:-** आवधिक/लघु अवधि ऋणों को उधार देने की दरें में परिवर्तन

संदर्भ सं. 1. ऋण नीति परिपत्र सं. 003/2011 दिनांक 17 फरवरी, 2011

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने आवधिक/लघु अवधि ऋणों संबंधी उधार देने की वर्तमान दरों में सभी श्रेणियों पर 25 बीपीएस तक संलग्न अनुबंध में दिए गए विवरण अनुसार उत्तरोत्तर परिवर्तन करने की तुरंत प्रभाव से अनुमति दी है।

2. अनुबंध अनुसार परिवर्तित ब्याज दरें 21.04.2011 को या इसके बाद किए गए सभी संवितरणों पर लागू होंगी।

3. ऋणों/स्कीमों के अन्य नियम एवं शर्तें वही रहेंगी, जैसी पहले अधिसूचित की गई हैं।


4. आंचलिक प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक और मंजूरी पत्र जारी करने वाले कारपोरेट कार्यालय के अन्य अधिकारियों को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि लागू ब्याज दरें और अन्य नियम एवं शर्तें सभी संबंधितों को विधिवत परिचालित करें और मंजूरी पत्रों में ठीक से शामिल करें।



(एम.एल.कुमावत)

मुख्य प्रबंधक(वित्त एवं लेखा)

कंपनी सचिवालय प्रभाग



**संलग्नक: अनुबंध**

**वितरण**

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक(वित्त), निदेशक(तक.) और मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रबंधक/ उप प्रबंधक/वरि. अधिकारी
2. सभी कार्यकारी निदेशक/महाप्रबंधक
3. सभी अपर महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक, कारपोरेट कार्यालय
4. सभी आंचलिक प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय/अपर निदेशक, सायर और प्रभारी, उप कार्यालय
5. उप महाप्रबंधक (आईटी) को आरईसी वेबसाइट पर डालने हेतु
6. मुख्य प्रबंधक(राजभाषा)

1. आवधिक ऋण

क्रम सं.	स्कीम *	राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं (श्रेणी "ए+" और अभिनिर्धारित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों एवं "एएए" कंपनियों)				राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं (श्रेणी "ए" एवं "बी") केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ताओं और (अभिनिर्धारित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों और सभी "एएए" कंपनियों के अलावा)				प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं ग्रेड 1 से III				प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं ग्रेड IV				प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं ग्रेड V			
		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ	
		पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी
% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष			
ए)	आवधिक ऋण/स्कीम																				
1)	पारंपरिक विद्युत उत्पादन वृहत	11.50	11.50	11.75	11.75	11.75	11.75	12.00	12.00	12.25	12.25	12.50	12.50	12.50	12.50	12.75	12.75	13.00	13.00	13.25	13.25
2)	उत्पादन-अन्य (गैर पारंपरिक को छोड़कर) *	11.50	11.50	11.75	11.75	11.75	11.75	12.00	12.00	12.25	12.25	12.50	12.50	12.50	12.50	12.75	12.75	13.00	13.00	13.25	13.25
3)	आरएंडएम, आरएंडयू, ट्रांसमिशन, वितरण और अन्य स्कीम	11.50		11.75		11.75		12.00		12.00		12.25		12.25		12.50		12.75		13.00	
4)	कंप्यूटरीकरण	11.50				11.75															
ख)	उपकरण विनिर्माताओं को ऋण																				
1)	1 वर्ष तक	11.75				12.00				12.75				12.75				12.75			
2)	1 से अधिक 3 वर्षों तक	12.25				12.50				13.25				13.25				13.25			

II लघु अवधि ऋण (एसटीएल)

क्र.	उधारकर्ता की श्रेणी	एसटीएल के लिए उभाह तक ब्याज दर मासिक रेस्ट के साथ (%)	एसटीएल के लिए 6माह तक ब्याज दर मासिक रेस्ट के साथ (%)	एसटीएल के लिए छः माह से अधिक और 1 वर्ष तक ब्याज दर मासिक रेस्ट के साथ (%)	एसटीएल के लिए 1 वर्ष से अधिक और 3वर्ष तक ब्याज दर मासिक रेस्ट के साथ (%)
1.	केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ता/अभिनिर्धारित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम/राज्य क्षेत्र श्रेणी "ए+"	11.25	11.75	12.00	11.50
2.	राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता-श्रेणी "ए" और अन्य सीपीएसयू	11.50	12.00	12.25	11.75
3.	राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता-श्रेणी "बी"/ प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता ("एएए")	11.75	12.25	12.50	12.00
4.	राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता -श्रेणी "गै" /प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता "एएए" के अलावा	12.00	12.50	12.75	12.25

टिप्पणी:

- उपयुक्त दरें एसटीएल/ मध्यावधि ऋणों जहां दरें मासिक रेस्ट के साथ हैं तिमाही बकाया आधार पर प्रभावी दरें हैं। ये दरें एसटीएल में मासिक आधार पर लागू नहीं होंगी, क्योंकि इनकी दरें मासिक रेस्ट आधार पर हैं।
- अभिनिर्धारित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों में एनटीपीसी, एनएलसी, डीवीसी, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल, पीजीसीआईएल, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी अथवा निगम द्वारा समय समय पर विहित कोई अन्य एनटिटी
- कंप्यूटरीकरण के लिए ऊपर उल्लिखित दरें एए प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं पर लागू नहीं होती हैं।
- उपयुक्त संशोधित ब्याज दरें 21.04.2011 को अथवा इसके बाद किए गए सभी संवितरणों पर लागू होंगी।
- उपयुक्त ए(1) में दी गई वृहत विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की परिभाषा अब संशोधित कर दी गई है ताकि राज्य/केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ताओं और प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं दोनों को 500 करोड़ रूपए एवं उससे अधिक की मंजूरी दी जा सके।
- \* गैर पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋणों के संबंध में ब्याज दर वही रहेगी जो उपयुक्त क्रमांक ए(1) में दिए गए अनुसार पारंपरिक विद्युत उत्पादन - वृहत श्रेणी के लिए लागू हैं।
- जैसा ऊपर बताया गया है, प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं ग्रेड - I, II, III, IV एवं V, का आधार आरईसी की आंतरिक संवर्गीकरण/ग्रेडिंग प्रणाली है।

अंगीकृत  
पर जारी .../..